

झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन)

विधेयक, 2015

[ सभा द्वारा यथापारित ]



सत्यमेव जयते

2015

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन)

विधेयक, 2015

[ सभा द्वारा यथापारित ]

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में अन्तःस्थापन ।

**झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015**  
[ सभा द्वारा यथापारित ]

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह 1ली अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त माना जायेगा ।

झारखण्ड  
अधिनियम  
9/2001  
की धारा-4  
का संशोधन

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-II के अन्तर्गत धारा-4 के पारा-1 में "150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़)" के स्थान पर "500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये" एवं पारा-2 में "एक सौ पचास करोड़ रुपये" के स्थान पर "500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

-----

यह विधेयक झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 26 मार्च, 2015 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 26 मार्च, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)  
अध्यक्ष ।